आर.एन.आई.नं. 48936/91, जेपीसी/एफ.एन.-40/12-14 जयपुर से प्रकाशित (पाक्षिक)

वाणिज्य सेतु

वर्ष 23 अंक 23 पृष्ठ-12 1 अगस्त, 2014, जयपुर

सीएस कोर्स में ई-बुक की शुरूआत-गिरीश गोयल

कम्पनी कानून में संशोधन शीघ्र-आर. श्रीधरन

जयपुर। कम्पनी कानून में किए गए परिवर्तन के कारण कम्पनी सचिव पेशे पर आने वाले असर से अब सीएस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केन्द्र सरकार ने इस बारे में व्यवहारिक रूख दिखाया है। कुछ मुद्दों पर संशोधन जारी किए जा चुके हैं और शेष मुद्दों पर बजट सत्र में ही उचित संशोधन जारी होने की उम्मीद है। यह जानकारी कम्पनी सचिव संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर. श्रीधरन ने यहां पत्रकारों को दी। उन्होंने कम्पनी सचिव पेशे में छात्राओं की बढ़ती रुचि का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में सीएस बनने के लिए छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। इसका कारण इस पेशे में मिलने वाला सम्मान, नौकरी के अवसर व अच्छा वेतन है। श्रीधरन ने यहां 26जुलाई को जयपुर चैप्टर की ओर से कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों व बजट 2014-15 पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि कम्पनी कानून में आए परिवर्तन से कम्पनी सचिव पेशेवरों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। उन्होंने पेशेवरों को अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की नसीहत देते हुए कहा कि कम्पनी कानून में गैर जिम्मेदारी पर सजा के प्रावधान तो हैं ही, कम्पनी सचिव संस्थान भी शिकायतों पर कड़ीकार्रवाई

करता है। संगोष्ठी को कांउंसिल सदस्य सी. सुरेश बाबू और शुतानु सिंहा ने भी संबोधित किया। जयपुर चैप्टर चेयरमैन गिरीश गोयल ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए एक अप्रैल 2014 से पुराना ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। नए प्रोग्राम के मुताबिक, फाउंडेशन के बाद तीन साल की ट्रेनिंग, एक्जीक्यूटिव के बाद 2 और प्रोफेशनल के बाद 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। स्टूडेंट्स को पंद्रह दिन का मैनेजमेंट स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होगा।